तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
1/10/25	पत्रावली आज वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी हेतु पेश हुई। दौराने बहस वकील प्रार्थी प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया कि वादी द्वारा जिस वाद वर्णित आराजी के सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद लाया है उक्त भूमि का वादीगण द्वारा दिनांक 11.10.2018 को जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से बेचान किये जाने से अब वादी उक्त भूमि का खातेदार नहीं रहा है। विवादित आराजी पर वादी के खातेदारी अधिकार समाप्त हो जाने से वाद वर्णित आराजी पर राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 5(43) के तहत वादी का वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं है। वाद वादी विधि वर्जित होने से खारिज योग्य है।प्रार्थना पत्र के समर्थन मे रजिस्टर्ड विकय पत्र की प्रति पेश की। वकील वादी अप्रार्थी ने जवाब प्रा0 पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में पोषणीय नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया थ जो खारिज किया जा चुका है उक्त प्रा0 पत्र प्रकरण को महज लम्बित करने हेतु पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा जिन आधारो पर पेश किया यह आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया है वह उक्त विधि में वर्णित आधारो पर पेश नहीं यिा गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे। उस उभयपक्ष सूनी गई एवं पत्रावली पर उपलब दस्तावेजात् का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वाद वर्णित आराजी पर वादी द्वारा जिन प्रावधानो के तहत स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया है उक्त प्रावधानो में अनुतोष हेतु वादी को खातेदारी अधिकार प्रदत्त होना प्रथम दृष्टया आवश्यक है किन्तु जैसा कि प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि वादीगण ने वाद वर्णित आराजी दिनांक 11.10.2018 को ही जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र बेचान की जा चुकी थी तो या तो वादी नवीन केतागण को पक्षकार बनाता अथवा पक्षकार नहीं बनाने का स्पष्ट कारण अंकित करता। किन्तु वादीगण/अप्रार्थी द्वारा उक्त विकय करने के तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये। जब वाद वर्णित आराजी का बेचान अन्यत्र किया ही जा चुका है तो वाद वर्णित आराजी पर स्थायी निषेधाज्ञा के तहत किसी प्रकार का अनुतोष वादीगण का दिया जाना न्यायेचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अप्रार्थीगण द्वारा वाद वर्णित आराजी का बेचान अन्यत्र कर खातेदारी अधिकार समाप्त करने एवं नवीन केतागण को पक्षकार नहीं बनाये जाने से वाद विधि वर्जित होना प्रमाणित होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 स्वीकार किया जाता है। वाद वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। W/

आ[illegible]यालय (श्री [illegible]
इस [illegible]सिल नं. 88/दावा/15
तामील [illegible]
जारी [illegible] 1. अमरचंद आलज स्वर्गीय बाबू[illegible]
2. लोताराम आलज स्वर्गीय बा[illegible]

Scanned with OKEN Scanner